अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:—

Tenth Report of the Committee on "Grants-in-aid to State Tribal Development Cooperative Corporations for Minor Forest Produce Operations"; and

Eleventh Report of the Committee on "The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005."

LEAVE OF ABSENCE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that a letter has been received from Shri Keshubhai S. Patel stating that he is unable to attend the House from 23rd November, 2005, till the end of the current (206th) Session as he has been operated for the Coronary Artery Bypass Graft at Sterling Hospital, Ahmedabad, and has been advised rest. He has, therefore, requested for the grant of Leave of Absence from 23rd November, 2005, till the end of the current Session of Rajya Sabha.

Does he have the permission for remaining absent from the House from 23rd November, 2005, till the end of the current Session of the Rajya Sabha?

(No hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Rape and Torture of a Tribal Women in Negri Village of Madhya Pradesh

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत दुखद और बर्बरतापूर्ण घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जो 7 दिसम्बर को नेगरी गांव, मध्य प्रदेश में घटी। एक आदिवासी औरत, एक गरीब और भूमिहीन औरत के साथ गांव के सम्पन्न वर्ग के लोगों ने बलात्कार किया। उस औरत ने हिम्मत करके थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। लोगों ने उसको धमकी दी कि अगर तुम शिकायत दर्ज कराओगी, अगर इनका नाम लोगी, तो तुम बच नहीं सकोगी, लेकिन फिर भी उस गरीब औरत ने, हिम्मत करके उनकी नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। वे लोग गांव में थे, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कदम नहीं उठाया। रात को वही लोग उस औरत के घर गए, देर रात उसके घर में घुसकर, उन्होंने उस औरत के

पंजे को कुल्हाड़ी से काट दिया। वह बेहोश हो गई, उसका आदमी डरकर भाग गया। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि उसकी झुग्गी भी उन्होंने जला दी है। उस औरत पर जो हमला हुआ, चार दिनों तक हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए।]

महोदय, आज वह औरत भोपाल के एक बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल है। आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि आज तक कोई मंत्री उस औरत को देखने अस्पताल नहीं गया है। अभी तक कलेक्टर ने केवल दो हज़ार रुपए का मुआवजा उसको दिया है। उस औरत के पास एक कंबल तक नहीं था। हमारी समिति के लोग जब उस औरत से मिलने गए, तब वे उसको एक कंबल और कुछ कपड़े देकर आए। महोदय, इससे क्या संदेश जाता है? अगर एक गरीब औरत के साथ यह होता है, तो यह संदेश जाता है कि अगर कोई औरत, जो बलात्कार की शिकार होती है, अगर वह हिम्मत करके उसकी शिकायत करती है, तो उसको यही सज़ा मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुरंत होम मिनिस्टर इसके बारे में... क्योंकि वह एक आदिवासी औरत है, इसलिए होम मिनिस्टर इस बारे में सदन को बताएं कि वे इसमें क्या हस्तक्षेप करना चाहते हैं और क्या मुआवज़ा उस औरत को देना चाहते हैं? महोदय, सबसे हैरान होने वाली बात तो है कि यह क्षेत्र नवनिर्वाचित मुख्य मंत्री का क्षेत्र है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सर, जो विषय वृंदा जी ने यहां पर उठाया है, मैं उसको पूर्ण समर्थन देते हुए इस घटना की पुरजोर निन्दा करती हूं। मेरे लिए यह चीज़ कतई महत्व की नहीं है कि वह प्रदेश किसके द्वारा शासित है, किसके द्वारा शासित नहीं है। यह घटना जिस तरह से घटी है, एक मानवीय संवेदना के नाते, एक महिला होने के नाते, उनके स्वर में स्वर मिलाकर, मैं इसे उतना ही condemn करती हूं, इसकी उतनी ही पुरजोर निन्दा करती हूं, जितनी उन्होंने की है और निश्चित तौर पर गृह मंत्री जी से यह चाहूंगी कि वे वहां की सरकार से इसके पूरे तथ्य लाएं और सदन को इससे अवगत कराएं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं देश में न हो पाए, इसको सुनिश्चित करें। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : एक मिनट.. एक मिनट.. आप बैठिए। पचौरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : उपसभापति महोदय, इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अम्बिका सोनी (पंजाब): सर, यह तो सरकार की तरफ से जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने सोचा वे मध्य प्रदेश के संबंध में ...(व्यवधान)...मैंने समझा वे मध्य प्रदेश ...(व्यवधान)...

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, माननीय सांसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण, गंभीर और दुखद मामला उठाया है। हम अपनी पार्टी की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां यह हादसा हुआ है, यह किसके कार्यक्षेत्र में हुआ है? यह बहुत दुख: की बात है कि इस महिला के साथ यह जो हादसा हुआ है, शर्मिंदगी का हादसा हुआ है, यह नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में हुआ है ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): सर, हम लोगों को भी आखिर अपनी भावनाओं का इज़हार करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ...(व्यवधान)

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیش": سر، ہم لوگوں کو بھی آخر اپنی بھاوناؤں کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا.....مداخلت...]

श्री उपसभापति: मौलाना साहब, देखिए, एक तो नोटिस नहीं दिया गया है, दूसरा ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप बैठिए ...(व्यवधान)

श्री राजू परमार (गुजरात): यह मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, सवाल उठा है, मिनिस्टर साहब ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It is an inhuman act. It is a matter of shame for all of us ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are right. ...*(Interruptions)*.... Who is saying that. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: It happened in Madhya Pradesh that too in the Chief Minister's constituency.....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister is reacting to it. What else do you require? ...*(Interruptions)*...

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): उपसभापति जी, यह जो मामला यहां पर उठाया गया है, वह अत्यंत बर्बरतापूर्ण है। इस संबंध में सदन के सारे सदस्यों की एक ही राय है कि ऐसा जो हादसा हुआ है, उसके बारे में पूरी तरह से यहां पर मालूमात आएं और जिन्होंने यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। जिस महिला को इसकी वजह से तकलीफ पहुंची है, उस महिला को जितनी भी मदद दी जा सकती है, वह देनी चाहिए, यही हमारी सरकार का उद्देश्य रहेगा। हम मध्य प्रदेश की सरकार से इसके बारे में मालूमात लेकर, सदन में जरुर पेश करेंगे। ...(व्यवधान)

---

†Translitration in Urdu Script.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: हम तो यह कहना चाहेंगे कि कानून में संशोधन करके ऐसे बलात्कारियों के लिए मौत की सजा तजवीज की जाए। ...(व्यवधान)

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ قانون میں سنشودھن کر کے ایسے بلاتکاریوں کے لئے موت کی سزا تجویز کی جائے...... مداخلت]

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): सर, मुंबई में बिहारी छात्रों को धमकाया जा रहा है ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: The Home Minister should give a statement on this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are looking into it. ...*(Interruptions)*... The Minister has replied. ...*(Interruptions)*... मिनिस्टर साहब ने रिस्पांस दिया है, और क्या चाहिए ...(व्यवधान)

श्री राजू परमार: हम चाहते हैं कि पूरी जानकारी लेकर होम मिनिस्टर साहब यहां हाऊस में स्टेटमेंट दें ...(व्यवधान)

डा॰ कुमकुम राय: सर, मुंबई में बिहारी छात्रों को धमकाया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: आपका ज़ीरो ऑवर मैंशन एडमिट नहीं हुआ है, इस मामले की जानकारी लेने के बाद एडमिट होगा ...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): I am on a point of clarification. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: जानकारी लेने के बाद आपका ज़ीरो ऑवर मैंशन एडमिट होगा ...(व्यवधान) Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): सर, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, प्रोफेसर साहब, आपने जो नोटिस दिया है, उस बारे में जानकारी मिलने के बाद इसको एडमिट किया जाएगा। अभी यह एडमिट नहीं हुआ है, अभी यह चेयरमैन साहब के पास है ...(व्यवधान) The hon. Home Minister has to reply to the discussion on the Bill on 'The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005.' आप बैठिए ...(व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है ...(व्यवधान) यह consideration में है, आप बैठिए ...(व्यवधान) The Home Minister has to reply to the debate on the Bill.

---

†Translitration in Urdu Script

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, अभी permission नहीं मिली है। जीरो आँवर के लिए नोटिस देने के बाद, किसी मामले को उसकी admissibility पर चेयरमैन साहब की परमीशन मिलने के बाद ही उठाया जा सकता है, इसको अभी permission नहीं मिली है, आप बैठिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप दे दीजिए permission ।

श्री उप सभापति : आपने चेयरमैन साहब को दिया है ...(व्यवधान) अभी यह consideration में है ...(व्यवधान)

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभापति जी, हम गृह मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: मीणा जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am on a point of clarification. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the issue? ...*(Interruptions)*...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: What action is to be taken on the revelation by *Aaj Tak* channel? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chairman has made a statement. ...*(Interruptions)*... I will not allow anything. ...*(Interruptions)*... The Chairman has made a statement. Let us not ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... The whole House is. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए, आप बैठिए ...(व्यवधान)... देखिए, आप बैठिए ...(व्यवधान)... Nothing will go on record when I am on my legs. ...*(Interruptions)*... The Chairman and the entire House have expressed its concern. The Chairman has already made a statement. Let us not discuss it. Let us go to the business.

श्रीमती वृंदा कारत: *

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं।...(व्यवधान)... यह एथिक्स कमेटी के सामने है।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: *

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Premachandran, please ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए, मीणा जी ...(व्यवधान)... मीणा जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)... What is this Mr. Premachandran? ...*(Interruptions)*... When I am appealing, please don't ...*(Interruptions)*...

*Not recorded.

श्री रुद्रनारायण पाणि: *

श्री उपसभापति: आप बैठिए ...(व्यवधान)... पाणि जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)... पाणि जी, आप खामोश रहिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister to reply on the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005.

GOVERNMENT BILLS

The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005—(*Contd.*)

and

The State Emblem Of India (Prohibition Of Improper Use) Bill, 2005

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, the Bill to amend the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act was discussed in this House. I am very happy to say that all the Members in the House supported the amending Bill. The Bill seeks to allow the sportspersons and others, who want to use the flag and national emblem, will be allowed to use on their cap or on their shirt or on their coat. But one restriction which is put on this is that it will not be used on the clothes worn by any person below the waist or on the undergarment or it will not be embroidered on a pillow cover or handkerchief or anything of that kind. There was a demand made for this kind of permission by many people in the country and this demand is being met by amending this law. Sir, it is not necessary for me to say anything more than this. Once again, I thank the Members for supporting this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

> "That the Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

---

*Not recorded.